न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–2, अम्बेडकर नगर।

सत्र परीक्षण संख्या– 55/2023

उ०प्र० राज्य बनाम तुफैल अहमद आदि

मु०अ०सं०–175/2019,
धारा– 323, 452, 504,
506, 308 भा०दं०सं०,
थाना– हंसवर,
जनपद– अम्बेडकर नगर।

दिनांकः 15.05.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। अभियुक्तगण तुफैल अहमद, नियाज अहमद, जाहिदा तथा श्रीमती ऐनुल की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत, जो आज हेतु स्वीकृत किया जाता है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा प्रार्थना पत्र कागज संख्या–11 ब प्रस्तुत कर उसके निस्तारण पर बल दिया गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या–11 ब –

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–311 दण्ड प्रक्रिया संहिता इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण में चोटहिला राकिया खातून को दिनांक 04.10.2019 ई० को समय 09:15 AM पर 100 नम्बर पुलिस द्वारा सी.एच.सी. बसखारी, अम्बेडकर नगर में क्रमांक संख्या–1021 पर भर्ती कराया गया था, जिसका इलाज डॉ० प्रशान्त द्वारा किया गया है तथा सदर अस्पताल अम्बेडकर नगर के लिए रिफर किया गया है। जिसकी प्रमाणित प्रति कागज संख्या–6 अ/3 संलग्न पत्रावली है। न्यायहित में साक्ष्य हेतु डॉ० प्रशान्त कुमार को मूल रजिस्टर सहित तलब किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना की गई है कि साक्ष्य हेतु उक्त डॉ० प्रशान्त कुमार को दिनांक 04.10.2019 का मूल रजिस्टर सहित तलब करने की कृपा की जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र पर अभियुक्तपक्ष की ओर से कोई विरोध नहीं किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

हस्तगत सत्र परीक्षण वाद अभियोजन साक्ष्य के स्तर पर प्रचलित है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रकरण की चोटहिला राकिया खातून को दिनांक 04.10.2019 को समय लगभग 09:15 बजे 100 नम्बर पुलिस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बसखारी, जनपद अम्बेडकरनगर में भर्ती कराया गया था, जहाँ उसका चिकित्सकीय परीक्षण एवं उपचार डॉ० प्रशान्त कुमार द्वारा किया गया तथा तत्पश्चात उसे जिला चिकित्सालय अम्बेडकरनगर हेतु संदर्भित किया गया। इस संबंध में दौरान विवेचना विवेचक द्वारा संदर्भित चिकित्सीय अभिलेख की प्राप्त की गयी प्रमाणित प्रति कागज संख्या–6 अ/3 पत्रावली पर संलग्न है। अभियोजन द्वारा उक्त चोटहिला का इलाज करने वाले चिकित्सक डॉ० प्रशान्त कुमार को दिनांक 04.10.2019 के मूल चिकित्सीय रजिस्टर सहित साक्ष्य हेतु तलब किये जाने का अनुरोध किया गया है। अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का कोई विरोध नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने पर न्यायालय के मत में प्रकरण के न्यायोचित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु संबंधित चिकित्सक एवं मूल अभिलेख का न्यायालय में प्रस्तुत होना आवश्यक एवं समीचीन प्रतीत होता है। उक्त साक्ष्य प्रकरण के विवादित तथ्यों के समुचित परीक्षण में सहायक होगा। तदनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अतः अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र कागज संख्या–11ब स्वीकार किया जाता है। तदनुसार डॉ० प्रशान्त कुमार, चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बसखारी, जनपद अम्बेडकरनगर को दिनांक 04.10.2019 का मूल चिकित्सीय रजिस्टर एवं संबंधित अभिलेख सहित नियत तिथि 01.06.2026 को साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन निर्गत किया जाये। पत्रावली वास्ते साक्ष्य उक्त तिथि को पेश हो।

दिनांकः– 15.05.2026

(हरबंश नारायन)
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–2
अम्बेडकर नगर।
आई.डी. नं०–UP 6297